"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2015—वैशाख 18, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक ई-1-03-2015/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006) संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग (अतिरिक्त प्रभार संचालक, उद्यानिकी) को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. पी. मसीह, भा.व.से. (2001), वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री मनोज कुमार पाण्डेय, भा.व.से., जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप निदेशक, इन्द्रावती राष्ट्रीय पार्क, बीजापुर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक 158/945/अव./2011/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 16-04-2015 से 25-04-2015 तक 10 दिवस का (दिनांक 26-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक 160/273/अव./2015/1-8/स्था.—श्री मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 13-04-2015 से 23-04-2015 तक 11 दिवस का (दिनांक 11, 12-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मरियानुस तिग्गा आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मरियानुस तिग्गा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मरियानुस तिग्गा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक 180/475/अव./2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 20-04-2015 से 25-04-2015 तक 06 दिवस का (दिनांक 18, 19, 26-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक 182/182/अव./2012/1-8/स्था.—श्री अब्बास खान, अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 13-04-2015 से 17-04-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 11, 12, 18, 19-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अब्बास खान आगामी आदेश तक अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अब्बास खान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अब्बास खान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2015

क्रमांक 184/335/अव./2014/1-8/स्था.—श्री ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 26-05-2015 से 10-06-2015 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. त्रिपाठी आगामी आगामी आदेश तक विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ए. पी. त्रिपाठी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2015

क्रमांक 188/372/अव./2012/1-8/स्था.—श्री मुकुंद गजभिये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 24-04-2015 से 08-05-2015 तक 15 दिवस का (दिनांक 09, 10-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुन्द गजभिये आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मुकुन्द गजभिये को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकुन्द गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक 200/670/अव./2004/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 05-05-2015 से 15-05-2015 तक 11 दिवस का (दिनांक 03, 04, 16, 17-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एल. ताम्रकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल. ताम्रकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक 204/692/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एस. एन. नामदेव, अवर सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 23-03-2015 से 27-03-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 21, 22, 28, 29-03-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. नामदेव आगामी आदेश तक अवर सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एन. नामदेव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. नामदेव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्रमांक 208/132/अव./2007/1-8/स्था.—श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल, परिवहन एवं जल संसाधन विभाग को दिनांक 02-05-2015 से 08-05-2015 तक 07 दिवस का (दिनांक 09, 10-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल, परिवहन एवं जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक 218/3866/अव./2014/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-10-2014 से 02-03-2015 तक कुल 134 दिवस का (दिनांक 18, 19-10-2014 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कमर अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2015

क्रमांक 224/1018/अव./2014/1-8/स्था.—श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 11-05-2015 से 23-05-2015 तक 13 दिवस का (दिनांक 09, 10, 24-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला आगामी आदेश तक उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2015

क्रमांक 226/444/अव./2014/1-8/स्था.—श्री जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 20-04-2015 से 30-04-2015 तक 11 दिवस का (दिनांक 18, 19-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. अवस्थी आगामी आदेश तक अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जे. एन. अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2015

क्रमांक 228/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-04-2015 से 02-05-2015 तक 13 दिवस का (दिनांक 18, 19-04-2015 एवं 03, 04-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2015

क्रमांक 230/1897/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. बी. काले, मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 07-04-2015 से 10-04-2015 तक 04 दिवस का (दिनांक 11, 12-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. काले आगामी आदेश तक मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. बी. काले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. काले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ.—छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ. दिनांक 25 फरवरी 2015 द्वारा, 1 नवम्बर, 2014 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक प्रभावशील किये जाने हेतु अधिसूचित की गई है. इस नीति की कंडिका 10 के प्रावधान अनुसार नीति के क्रियान्वयन हेतु चिप्स नोडल एजेंसी है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नोडल एजेंसी के दायित्व इस प्रकार होंगे—

1. निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त करने, स्वीकृति प्रदान करने तथा इस संबंध में अनुश्रवण हेतु ऑनलाईन पोर्टल की स्थापना करना, ताकि निवेशकों एवं राज्य शासन के मध्य एकल संपर्क रहे.

2. नीति के अंतर्गत सेवा उद्योगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में प्रतिवेदनों/रिटर्नों की प्रस्तुति को सुगम बनाना.

3. प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स, आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. इकाईयों में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना.

4. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम इलेक्ट्रॉनिक्स, आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. इकाईयों (MSME) को उपलब्धता अनुसार लीज पर भवन उपलब्ध कराना.

5. निवेशकों के साथ एमओयू का निष्पादन करना.

6. आवश्यकतानुसार नीति के क्रियान्वयन हेतु अन्य कार्यवाई.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ., दिनांक 17-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

Naya Raipur, 17th April 2015

No. F 4-12/2014/56/EIT.—As per department notification number F 14-12/2015/56/EIT dated 25th February 2015 Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-2019, has been notified. In accordance with clause 10 of above Policy CHiPS will act as nodal agency and Chief Executive Officer, CHiPS is appointed as Nodal Office for the implementation of this policy.

The functions of nodal agency will be as below-

1. Establish an Online portal as a single point of contact between investor and the state for receiving investment proposals and as out let for letters of sanction and approval along with a monitoring mechanism.

2. Facilitate smooth submission of reports/returns in electronic formats for industries under the policy.

3. Ensure skilled manpower for the Electronics, I. T. & I. T. e. S. units in association with training and skill development institutions.

4. Allot build up space, if any, on lease to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of Electronics, IT & ITeS units.

5. Enter into appropriate MoU with investors.

6. Will take other appropriate steps for effective implementation of the policy.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. ANANDA BABU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ.—यत: छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/2014/56/इ.सू.प्रौ. दिनांक 25 फरवरी, 2015 द्वारा, 1 नवम्बर, 2014 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक प्रभावशील किये जाने हेतु अधिसूचित की गई है.

1. अतएव, उक्त नीति के खण्ड 9 के अधीन राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस नीति के अन्तर्गत राज्य में इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु तथा नीति क्रियान्वयन की समीक्षा, आवश्यक स्वीकृतियां तथा विभिन्न मुद्दों पर अंतर्विभागीय समन्वय एवं मार्गदर्शन करने हेतु सशक्त समिति (ई.सी.) गठित करती है. इस समिति का स्वरूप निम्नानुसार है—

(1)	मुख्य सचिव—	अध्यक्ष
(2)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग—	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग—	सदस्य

(4)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं पर्यावरण—	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी—	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व—	सदस्य
(7)	संचालक, वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य
(8)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण—	सदस्य
(9)	उपाध्यक्ष, चिप्स—	सदस्य
(10)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स—	सदस्य सचिव

समिति द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकेगा. सशक्त समिति द्वारा इस नीति के संबंध में लिये गये निर्णय अंतिम होंगे तथा सभी संबंधित पक्षकार जिनमें निवेशक भी सम्मिलित हैं, पर बन्धनकारक होंगे.

2. **सशक्त समिति के दायित्व—**

2.1 इस नीति के क्रियान्वयन के संबंध में कार्ययोजना का अनुमोदन, नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी तथा समय-समय पर समीक्षा करना.

No. F 4-12/2014/56/EIT.—Whereas, Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19, has been notified by this department notification number F 14-12/2015/56/EIT dated 25 February 2015 have effect from 1st November, 2015 to dated 31 October 2015;

1. Now, therefore, the State Government hereby, in accordance with clause 9 of above Policy, constitutes an Empowered Committee (EC) for necessary sanctions, guidance, inter departmental coordination, monitoring the implementation of policy and to encourage establishment of units in the state. The committee consists of the following members—

1.	Chief Secretary	Chairman
2.	ACS/Principal Secretary/Secretary, Finance Department	Member
3.	ACS/Principal Secretary/Secretary, Commerce and Industries	Member
4.	ACS/Principal Secretary/Secretary, Housing and Environment	Member
5.	Principal Secretary/Secretary, Electronics and Information Technology.	Member
6.	Principal Secretary/Secretary, Revenue	Member
7.	Director, Commerce and Industries	Member
8.	Chief Executive Officer, Naya Raipur Development Authority	Member
9.	Vice Chairman, CHiPS	Member
10.	Chief Executive Officer, CHiPS	Member Secretary

The Empowered Committee may invite any other representatives as per requirement. All decisions of EC regarding this policy shall be final and shall be binding on all the concerned parties including investors in the state.

2. **Functions of Empowered Committee—**

2.1 To approve the action plan for the implementation of policy, monitor implementation of policy and its periodic review.

2.2 To ensure that concerned state Government departments/organizations issues necessary guidelines, notification, etc. within stipulated time and its review.

2.3 To provide guidance and approval for operation of single window system and its review.

2.4 To provide guidance and approval for various procedures, terms and conditions for release of incentives, sanctions under the policy by the various departments and organizations and review of timely flow of incentives to the investors including land allotment for the effectieve implementation of the policy.

2.5 To recommend additional incentives/concessions for large investments is excess of Rs. 100 crores during policy period.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-11/2011/विविध/10-2.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 7-11/2011/विविध/10-2, दिनांक 16-12-2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

1. अनुसूची के क्रमांक 10 के कॉलम 4 में, अंक एवं शब्द “40 कार्य दिवस” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “15 कार्य दिवस” प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची के क्रमांक 11 के कॉलम 4 में, अंक एवं शब्द “40 कार्य दिवस” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “10 कार्य दिवस” प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची के क्रमांक 12 के कॉलम 4 में, अंक एवं शब्द “40 कार्य दिवस” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “15 कार्य दिवस” प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक-एम.पी./3542 को दिनांक 01-04-2015 से 31-07-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 8-1/2014/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक-M.P./3210 को दिनांक 12-10-2014 से 11-07-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2014

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 29 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार बालक कल्याण समिति के निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्याग पत्र स्वीकार किया गया :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अध्यक्ष/सदस्य का नाम (3)	कारण (4)
1.	कोरिया	कु. आशा जायसवाल	त्याग पत्र स्वीकार किया गया
2.	जशपुर	श्रीमती रोशनी सिद्धकी	त्याग पत्र स्वीकार किया गया
3.	सूरजपुर	श्रीमती विनीता कुम्भज	त्याग पत्र स्वीकार किया गया
4.	सरगुजा	श्रीमती सुलेखा कश्यप	त्याग पत्र स्वीकार किया गया

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 धारा 29 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार मुंगेली बालक कल्याण समिति के सदस्य का निम्न विवरण अनुसार चयन निरस्त करता है :—

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	अध्यक्ष/सदस्य का नाम (3)	पद से हटाये जाने का कारण (4)
1.	मुंगेली	श्रीमती विजया दलाल, सदस्य	विगत तीन माह से अधिक समय से बालक कल्याण समिति की बैठक में उपस्थित न होने के कारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 धारा 29 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पद से हटाया गया है.

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2015

क्रमांक एफ 1-359/22-1/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :—

अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक तथा शब्द "5 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "4 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 1-359/22-1/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department, (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In column (3) of serial number 1 of Schedule-IV, for the figure and word "5 Years", the figure and word "4 Years" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, उप-सचिव.

LABOUR DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 29th April 2015

No. F 10-5/2015/16.—In exercise of the powers conferred by section 112 read with section 87 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, hereby amends the schedule XXV of rule 107 (rules prescribed under section 87 of the Factories Act, 1948) of C.G. Factories rule 1962, as mentioned below.

SCHEDULE XXIV

Operations involving high Noise and Vibration levels

Part-A High Noise Levels:

1. **Applications :—**This part of the schedule shall apply to all operations in any manufacturing process having high noise level.

2. **Definitions:—** For the purpose of this schedule—
   (a) "Noise" means any unwanted sound.

   (b) "High noise level" means any noise level measured on the A-weighted scale is 85 dB or above.

(c) "Decibel" means one-tenth of "Bel" which is the fundamental division of a logarithmic scale used to express the ratio of two specified or implied quantities, the number of "Bels" denoting such a ratio being the logarithm to the base the of 10 of this ratio. The noise level (or the sound pressure level) 6 corresponds to a reference pressure of 20 × 10 Newton per square meter or 0.0002 dynes per square centimeter which is the threshold of hearing, that is, the lowest sound pressure level necessary to produce the sensation of hearing in average healthy listeners. The decibel in abbreviated from is dB.

(d) "Frequency" is the rate of pressure variations expressed in cycles per second or hertz.

(e) "dBA" refers to sound level in decibels as measured on a sound level meter operating on the A-weighting net work with slow meter response.

(f) "A-weighting" means making graded adjustments in the intensities of sound of various frequencies for the purpose of noise measurement, so that the sound pressure level measured by an instrument reflects the actual response of the human ear to the sound measured.

3. **Protection against noise :—**

(1) In every factory, suitable, a suitable engineering control or administrative measures shall be taken to ensure, so far as is reasonably practicable, that no workers is exposed to sound levels exceeding the maximum permissible noise exposure levels specified in Tables 1 and 2.

TABLE-1

Permissible exposure in cases of continuous noise

Total time of exposure (continuous short term exposures)	Sound pressure level in or a number of dBA per day, in hours
8	85
6	87
4	90
3	92
2	95
1 1/2	97
1	100
3/4	102
1/2	105
1/4	110

Notes : 1. No exposure in excess of 110 dBA is to be permitted.

2. For any period of exposure falling in between any figure and the next higher or lower figure as indicated in column 1, the permissible sound pressure level is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

TABLE-2

Permissible exposure levels of impulsive or impact noise

Peak sound pressure level in dB (1)	Permitted number of impulses of impact per day (2)
140	100

(1)	(2)
135	315
130	1,000
125	3,160
120	10,000

Notes : 1. No exposure in excess of 140 dB peak sound pressure level is permitted.

2. For any peak sound pressure level falling in between any figure and the next higher or lower figure as indicated in column 1, the permissible number of impulses or impact per day is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

(2) For the purposes of this schedule, if the variations in the noise level involve maximum at intervals of one second or less, the noise is to be considered as a continuous one and the criteria given in Table 1 would apply. In other cases, the noise is to be considered as impulsive or impact noise and the criteria given in Table 2 would apply.

(3) When the daily exposure is composed of two or more periods of noise exposure at different levels their combined effect should be considered, rather than the individual effect of each, The mixed exposure should be considered to exceed the limit value if the sum of the fractions

$$\frac{C1}{T1} + \frac{C2}{T2} + \ldots\ldots \frac{Cn}{Tn} \text{ exceeds unity,-}$$

Where the C1, C2 etc. indicate the total time of actual exposure at a specified noise level and T1, T2, etc. denote the time of exposure of less than 90 dBA may be ignored in the above calculation.

(4) Where it is not possible to reduce the noise exposure to the levels specified in sub-clause (1) by reasonably practicable engineering control or administrative measures, the noise exposure shall be reduced to the greatest extent feasible by such control measures, and each worker so exposed shall be provided with suitable ear protectors as per relevant National or International Standards so as to reduce the exposure to noise to the levels specified in sub-clause 3(1).

(4) (1) The Occupier shall provide personal hearing protectors to the workers

(a) So as to eliminate the risk to hearing protectors to the workers

(b) After consultation with the employees concerned or their representative

(c) Ensure the hearing protectors is full and properly fitted, periodically checked for the effectiveness, used and maintained in good working order and repair.

(d) Ensure that workers are given periodical training in the use, care and maintenance of the personal hearing protectors.

(5) Where the ear protectors provided in accordance with sub-paragraph 3 (4) and worn by a worker cannot still attenuation value in dBA of the ear protectors concerned from the measured sound pressure level, to a level, permissible under Table 1 or Table 2 as the case may be, the noise exposure period shall be suitably reduced to correspond to the permissible noise exposures specified in sub paragraph (1).

(6) (a) In all cases where the prevailing sound levels exceed the permissible levels specified in sub-paragraph (1) there shall be administered an effective hearing conservation programme which shall include among other hearing conservation measures, pre-employment and periodical auditory surveys conducted on workers exposed to noise exceeding the permissible level, and rehabilitation of such workers either by reducing the exposure to the noise level or by transferring them to places where noise levels are relatively less or by any other suitable means.

(b) Every worker employed in areas where the noise exceeds the maximm permissible exposure levels specified in sub-clause (1) shall be subjected to any auditory examination by a Certifying Surgeon within 14 days of his first employment and thereafter, shall be re-examined at least once a every 12 months. Such initial and periodical examinations shall include tests which the Certifying Surgeon may consider appropriate and shall include determination of auditory thresholds for pure tones of 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 cycles per second.

Part-B High Vibration Levels :

(1) **Applications.—**This part of the Schedule shall apply to all operations in manufacturing part of the process having high undesired vibrations.

(2) **Definition:**

(a) "daily exposure" means the quantity of mechanical vibration to which a worker is exposed during a working day, which takes account of the magnitude and duration of the vibration;

(b) "Vibration" means a mechanical phenomenon where by oscillations occur about equilibrium point. The oscillations may be periodic or random.

(c) "high Vibration" means any exposure greater than exposure limit value and action value specified in clause-3.

(d) "exposure action value" means the level of daily exposure set out in clause-3 for any worker which, if reached or exceeded, requires specified action to be taken to reduced risk;

(e) "exposure limit value" means the level of daily exposure for any worker which must not be exceeded, as specified in sub clause-3

(f) "hand-arm vibration" means mechanical vibration which is transmitted into the hands and arms during a work activity;

(g) "mechanical vibration" means vibration occuring in a piece of machinery of equipment or in a vehicle as a result of its operation; and

(h) "whole-body vibration" means mechanical vibration which is transmitted into the body, when seated or standing, through the supporting surface, during a work activity or as described in sub clause 3(2)

(3) **Exposure limit values and action values.**

(1) For hand-arm vibration

(a) the daily exposure limit value is 5m/s2 A(8);

(b) the daily exposure action value is 2.5m/s2A(8),
and daily exposure shall be ascertained on the basis set out in the relevant National/International Standards specified in table 1 below.

(2) For whole body vibration

(a) the daily exposure limit value is 1.15m/s2A(8);

(b) the daily exposure action value is 0.5m/s2A(8),
and daily exposure shall be ascertained on the basis set out in the relevant National/International Standards.

TABLE-1

The Threshold Limit Values (TLVs) for exposure of the hand of vibration in X, Y or Z direction of axes in the three dimensional systme shall be as given below :

Total Daily Exposure Duration (hours)	Maximum value of frequency weighted acceleration (m/s2) in any direction
4 to less than 8 hours	4
2 to less than 4 hours	6
1 to less than 2 hours	8
less than 1 hours	12

(3) (2) Assessment of vibration exposure shall be made for each applicable direction (X, Y, Z) since vibration is a vector quantity (magnitude and direction). In each direction, the magnitude of the vibration during normal operation of the power tool, machine or piece should be expressed by the root-mean-square (RMS) value of the frequency-weighted component acceleration, in units of meter per second squared (m/×2)

(4) **Assessment of risk to health due to vibration at the work place.**

(a) An occupier who carries out work which is liable to expose any worker form vibration shall make a suitable and sufficient assessment of the risk created by that work to the health and safety of those and the risk assessment shall identify the control measures that need to be taken.

(b) The risk assessment should be reviewed whenever it is felt the changes in the process makes the earlier risk assessment no longer valid.

(5) **Engineering control measures.**

(1) The occupier shall ensure that risk from the exposure of workers to vibration is either eliminated at source or, where this is not reasonably practicable, reduced to as low a level as is reasonably practicable.

(2) Where it is not reasonably practicable to eliminate risk at source pursuant to paragraph (a) and an exposure action value is likely to be reached or exceeded, the employer shall reduce exposure to as low a level as is reasonably practicable by establishing and implementing a programmed of engineering control measures which are appropriate to this type of activity.

(3) The occupier shall ensure that the workers are provided with the following measures.

(a) work equipment of appropriate ergonomic design which, taking account of the work to be done, produces the least possible vibrations.

(b) the provision of auxiliary equipment which reduces the risk of injuries caused by vibration; and install appropriate maintenance programmes for work equipment, the workplace and workplace systems;

(4) Subject to sub clause 5, the employer shall ensure that his employees are not exposed to vibration above an exposure limit value; and shall take necessary to identify the reasons for the limit being exceeded and take appropriate steps to reduce the exposure to vibration to below limit value.

Provided that where the exposure of an employee to vibration is usually below the exposure action value but varies markedly from time to time and may occasionally exceed the exposure limit value.

further provided that-any exposure to vibration averaged over one week is less than the exposure limit value and there is evidence to show that the risk from the actual pattern of exposure is less than the corresponding risk from constant exposure at the exposure limit value; and that the (b) risk is reduced to as low a level as is reasonably practicable, taking into account the special circumstances.

(6) **Medical Examination.**

(1) The occupier shall ensure that the workers who are likely to be exposed to vibration at above exposure action value are subjected to periodical medical examination once in a year. The medical examination shall include general and physical examination as well as special test for Reynaud's phenomenon.

(2) The health record of workers shall be maintained by the occupier for a period of 5 years from the date of last test and produce to the Inspector of Factories on demand.

(3) If at any time the certifying Surgeon/Factory medical Inspector is of the opinion that the worker is no longer fit to work in the said process on the ground that continuance daring would involve danger to the health of the worker he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the Certifying Surgeon in which case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(7) **Personal Protective equipment.**

(1) The occupier shall ensure that the worker who are likely to be exposed to high level of vibration are provided with appropriate PPE and protective clothing confirming to national or international standards. Such Personal Protective Equipment should include hand gloves and safety shoes. The protective clothing shall be able to protect the workers from cold and dump.

(2) The occupier shall ensure that workers are given periodical training in the use care and maintenance of the Personal Protective Equipment.

(8) **Administrative Control Measures.**

(1) The occupier shall ensure that as far as reasonably practicable as all necessary control measures are taken to ensure that the unwanted vibrations does not affect the health of the workers employed in the process to which this part of schedule apply.

(2) The occupier shall provide all workers with information instruction and training to be adopted to limit the exposure limit values and action values as set out in sub clause-3.

(3) Without prejudice to the generality of paragraph (1), the information instruction and training provided under that paragraph shall include-

(i) The exposure limit values and action values set out in sub clause-3.

(ii) Safe working practices to minimise exposure to vibration; and

(iii) Suitable and sufficient information and training for employees, such that work equipment may be used correctly and safety, in order to minimise their exposure to vibration.

(iv) Limitation of the duration and magnitude of exposure to vibration;

(v) Appropriate work schedules with adequate rest periods; and

(vi) The information, instruction and training required by paragraph (2) shall be updated to take account of significant changes in the type of work be updated to take account of significant changes in the type of work carried out or the working methods used by the employer.

(4) The Occupier shall display pictorial cautionary notices/warning signs at conspicuous places where there are possibilities of workers being exposed to undesired high vibrations.

(9) **Prohibition in employment of women, young persons and persons with disabilities.** No women or young person or persons with disabilities shall be employed in the process convered by this part of the schedule.

(10) **Exemptions.** If in respect of any factory, the Chief Inspector is satisfied that owing to any exceptional circumstances, or infrequently of the process, or for any other reason, application of all or any of the provisions of this schedule is not necessary for the protection of the persons employed in such factory, he may by an order in writing which he may at his discretion revoke, exempt such factory from all or any of the provisions on such conditions and for such period as he may specify in the said matters.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2015

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-3/तीन (दो)/न.पा./कारखाना/2015/1902, दिनांक 23-04-2015 में उल्लेखित छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-54-9/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/1876, दिनांक 20-04-2015 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32(1) एवं नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 (4) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित जिलों के नगर पंचायतों के वार्डों में दिनांक 26 मई, 2015 को मतदान कराया जाएगा तथा मतगणना दिनांक 29 मई, 2015 को होगी. निर्वाचन एक ही चरण में कराया जाएगा :—

जिला	नगरपालिका का नाम	वार्ड क्रमांक जहां निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है
रायगढ़	नगर पंचायत, सरिया	वार्ड क्र. 4
बालोद	नगर पंचायत, चिखलाकसा	वार्ड क्र. 1, 14 एवं 15
गरियाबंद	नगर पंचायत, फिंगेश्वर	वार्ड क्र. 1, 2 एवं 15

अत: कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 26-05-2015 (मंगलवार), को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सहसपुरी प.ह.नं. 16	0.358	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	सहसपुरी धनगांव मार्ग पर निर्मित माण्ड नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रानीगुड़ा प.ह.नं. 12	0.136	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	बायंग रानीगुड़ा उसरौट कुसमुरा मार्ग पर माण्ड नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बड़े अतरमुड़ा प.ह.नं. 28	0.289	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	केलो नदी पर निर्मित ग्राम बड़े अतरमुड़ा के पुल पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	दनौट प.ह.नं. 15	2.428	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत डूबान हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 0/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	गोसाईडीह प.ह.नं. 06	0.129	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	खम्हार पाकुट जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लैलूंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	टांगर प.ह.नं. 50	3.529	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	खैरझिटी प.ह.नं. 51	0.781	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	हसौद प.ह.नं. 51	2.994	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	माधोपाली प.ह.नं. 30	3.106	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	ताड़ापाली प.ह.नं. 49	0.368	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	बरभांठा प.ह.नं. 30	1.972	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	चिखली प.ह.नं. 30	3.988	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	बोईरडीह प.ह.नं. 30	4.378	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	खरवानी बड़े प.ह.नं. 45	5.195	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सिंघनपुर प.ह.नं. 1	1.230	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय, चाम्पा.	मिरौनी बैराज के तहत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	भदरा प.ह.नं. 1	10.790	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय, चाम्पा.	मिरौनी बैराज के तहत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	छिन्दभौना प.ह.नं. 09	0.242	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत डूबान हेतु पूरक भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बड़गांव प.ह.नं. 09	0.129	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत डूबान हेतु पूरक भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अप्रैल 2015

संशोधन

क्रमांक 6095/अ-82/2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 के तहत् इस कार्यालय द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक 4805/भू-अर्जन/जांजगीर-चांपा दिनांक 01-04-2015 की कंडिका "3" एवं "6" में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती अंकित है, उसके स्थान पर सुधार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा पढ़ा जावे.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अप्रैल 2015

संशोधन

क्रमांक 6096/अ-82/2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 के तहत् इस कार्यालय द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक 4808/भू-अर्जन/जांजगीर-चांपा दिनांक 01-04-2015 की कंडिका "3" एवं "6" में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती अंकित है, उसके स्थान पर सुधार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा पढ़ा जावे.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अप्रैल 2015

संशोधन

क्रमांक 6097/अ-82/2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 के तहत् इस कार्यालय द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक 4806/भू-अर्जन/जांजगीर-चांपा दिनांक 01-04-2015 की कंडिका "3" एवं "6" में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती अंकित है, उसके स्थान पर सुधार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा पढ़ा जावे.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अप्रैल 2015

संशोधन

क्रमांक 6098/अ-82/2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 के तहत् इस कार्यालय द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक 4804/भू-अर्जन/जांजगीर-चांपा दिनांक 01-04-2015 की कंडिका "3" एवं "6" में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती अंकित है, उसके स्थान पर सुधार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा पढ़ा जावे.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अप्रैल 2015

संशोधन

क्रमांक 6099/अ-82/2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 के तहत् इस कार्यालय द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक 4807/भू-अर्जन/जांजगीर-चांपा दिनांक 01-04-2015 की कंडिका "3" एवं "6" में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती अंकित है, उसके स्थान पर सुधार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 8 अप्रैल 2015

क्रमांक/872/भू-अर्जन/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय-2 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन धारा-4 का नगर पंचायत विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव के अन्तर्गत रावनागुड़ा मार्ग के कि.मी. 4/2 पर गांजीडिही नाला पर सेतु निर्माण कार्य हेतु नगर पंचायत विश्रामपुरी प.ह.नं. 03 की निजी भूमि रकबा 0.10 एकड़ भू-अर्जन प्रस्ताव और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रारंभ करने हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2015 निर्धारित किया जाता है.

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अन्तर्गत, अन्य मामलों में निम्नलिखित आएंगे, अर्थात्—

(क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है;

(ख) प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है;

(ग) ऐसी सार्वजनिक और प्राईवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है;

(ङ) इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है.

(च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन.

परन्तु पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन, यदि कोई हो, साथ-साथ किया जाएगा और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा.

(5) उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य हाथ में लेते समय समुचित सरकार अन्य बातों के साथ उस समाघात पर विचार करेगी, जो कि परियोजना से विभिन्न घटकों पर जैसे कि प्रभावित कुटुंबों की जीविका लोक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना विशिष्टता सड़कों, लोक परिवहन, जल निकास संकर्म, स्वच्छता, पेयजल के स्रोत, पशुओं के लिए जल के स्रोत, सामुदायिक जलाशय, चारागाह, बागान, जन सुविधाओं जैसे डाकघर उचित कीमत दुकान, खाद्य भंडारण गोदाम, विद्युत प्रदाय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, विद्यालय और शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगन, बाल उद्यान, पूजा स्थल, पारम्परिक जनजातीय संस्थाएं और कब्रिस्थान तथा शमशान घाट पड़ने की संभावना है.

(6) समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने वाले प्राधिकारों से उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट घटक के लिए समाघात को ठीक करने के लिए अपनाए जाने वाले अपेक्षित सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे उपाय, यथास्थिति, प्रभावित क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की उस प्रभावित क्षेत्र में प्रवर्तित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन जो कुछ उपलब्ध कराया गया है उससे कम नहीं होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्रमांक/75/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-मांदरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.074 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	71/5	0.07
	75	0.004
योग		0.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-मांदरी-कछारपारा-मोदे सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्रमांक/78/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुरूमतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	229	0.02
	251	0.02
	254	0.02
	235	0.01
	249	0.01
	234	0.01
	233	0.01
	239/3	0.01
	253	0.02
	255	0.01
	262	0.03
योग		0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-अरौंद-मुरूमतरा-देवीनवागांव सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्रमांक 118/स्था./श्र.आ./2015.—मैं डॉ. जितेन कुमार, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभागीय आदेश 473/7258/16, दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न सारिणी के स्तम्भ क्रमांक-2 में दर्शाये गये व्यक्तियों को सारिणी के स्तम्भ क्रमांक-3 में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूं :—

क्र. (1)	नाम (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1.	श्री महेन्द्र कुमार पाल	सम्पूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	श्री अमित कुमार चिराम	—तदैव—
3.	श्री नारद सिंह मंडावी	—तदैव—
4.	कु. सरस्वती	—तदैव—

जितेन कुमार,
श्रमायुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 9 अप्रैल 2015

क्रमांक 38/जि.प.अ./2015.—रायगढ़ शहर के चारों ओर भारी उद्योग एवं खदानें स्थित है जिससे भारी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन होता है जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार भारी वाहनों का संचालन शहर के बाहर से होना है इस परिपेक्ष्य में पहाड़ मंदिर के निकट, बोईरदादर विजयपुर के निकट, शालिनी स्कूल तिराहा के निकट तथा सर्किट हाऊस के निकट भारी वाहनों के 24 घण्टे प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ एवं जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है.

जनसुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टिकोण से मैं श्रीमति अलरमेलमंगई डी. जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहाड़ मंदिर के निकट, बोईरदादर विजयपुर के निकट, शालिनी स्कूल तिराहा के निकट तथा सर्किट हाऊस के निकट भारी वाहनों के 24 घण्टे प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करती हूं.

अलरमेलमंगई डी.,
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/202.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2014-15/6378 रायपुर, दिनांक 13-02-2015 द्वारा श्री आशीष टिकरिहा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती को कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जांजगीर-चांपा का ज्ञापन क्रमांक/2590/स्थापना/2015, दिनांक 24-02-2015 द्वारा श्री आशीष टिकरिहा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती को डिप्टी कलेक्टर, जांजगीर-चांपा पदस्थ किये जाने के कारण श्रीमति चन्द्रकांता ध्रुव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती को कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आशीष टिकरिहा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के स्थान पर श्रीमति चन्द्रकांता ध्रुव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुला जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/204.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2013-14/6382 रायपुर, दिनांक 13-02-2015 द्वारा श्री संतोष कुमार अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा को कृषि उपज मण्डी समिति नैला का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कलेक्टर जांजगीर-चांपा का ज्ञापन क्रमांक/2590/स्थापना/2015, दिनांक 24-02-2015 द्वारा श्री अग्रवाल वर्तमान भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति नैला अवकाश पर होने के कारण श्री बी. आर. लहरी डिप्टी कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को भारसाधक अधिकारी नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री संतोष कुमार अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा के स्थान पर श्री बी. आर. लहरी डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नैला का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/428—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2014-15/6586-87 रायपुर, दिनांक 25-02-2015 द्वारा श्री जी. एस. नाग तहसीलदार राजिम को कृषि उपज मंडी समिति राजिम जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन) गरियाबंद जिला गरियाबंद का पत्र क्रमांक-मंडी/मंडी/स्था./2015-16/112 दिनांक 15-04-2015 द्वारा श्री जी. एस. नाग तहसीलदार एवं भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति राजिम को निलंबित किये जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अरूण कुमार मरकाम, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार राजिम के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री जी. एस. नाग, तहसीलदार के स्थान पर श्री अरूण कुमार मरकाम, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार राजिम को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति राजिम जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्रमांक/1813/कले./व.लि-2/2012.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही (जल जनित संक्रामक रोग) जैसे उल्टी-दस्त, आन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बिमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं शम्मी आबिदी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण कांकेर जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करती हूं.

2. जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिऐ रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग-सब्जियों मिष्ठान, मॉस मछलियों, अनाज, रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईस्क्रीम शीतल पेय, गंदा गन्नारस, आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभवाना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपत्तिक हैजा जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय कांकेर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र एवं खाद्य अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

3. जिले के महत्वपूर्ण, बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

4. यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

शम्मी आबिदी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2015

क्रमांक 12.— बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 की धारा 17 के तहत् निम्न साक्षरता प्रेरकों/सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी, साक्षर भारत मिशन, जिला बिलासपुर को दिनांक 16-03-2015 से 24-03-2015 तक बाल श्रमिक सर्वेक्षण हेतु निरीक्षक घोषित किया जाता है :—

प्रेरक

क्र. (1)	नाम (2)	विकासखण्ड (3)
1.	श्री सुरेश कुमार सोनी	मस्तुरी
2.	श्री परमेश्वर शर्मा	मस्तुरी
3.	श्री भास्कर	मस्तुरी
4.	श्री धर्मेन्द्र	मस्तुरी
5.	श्री कन्हैया	मस्तुरी
6.	श्री मनोज कुमार	कोटा

(1)	(2)	(3)
7.	विजय कुमार मिरी	कोटा
8.	श्री लक्ष्मीकान्त	तखतपुर
9.	श्री रूपेन्द्र कुमार	तखतपुर
10.	श्री मनोज आदिले	तखतपुर
11.	श्री प्रमोद यादव	बिल्हा
12.	श्री तुलसीराम पाल	बिल्हा
13.	श्री महेश कुमार पाल	बिल्हा
14.	श्री शिव प्रसाद धूरी	बिल्हा
15.	श्री पीलाराम यादव	बिल्हा
16.	श्री संतोषी धुरी	बिल्हा
17.	श्री चन्द्रप्रकाश	बिल्हा
	पर्यवेक्षक (जोनल अधिकारी)	
18.	श्री आर. के. गोपाल	बिलासपुर
19.	श्री एच. आर. पटेल	बिलासपुर
20.	श्री रामनिहोर कश्यप	बेलतरा (बिल्हा)
21.	श्री परवेज आलम	बेलतरा (बिल्हा)

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सुकमा, (छ.ग.)

सुकमा, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्रमांक 217/खनिज-86/2014.—खान एवं खनिज नियमावली 1960 के नियम 59 के अंतर्गत लेखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र खनिज ग्रेनाईट घोषित पूर्वेक्षण अनुज्ञा को पुन: अनुदान में दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के स्वीकृत प्रकरण

क्र.	पूर्व पट्टेदार का नाम/पता	ग्राम का नाम	तहसील खसरा नं.	रकबा	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मे. मार्गरा एक्सपोर्ट प्रायवेट लिमि., चेन्नई	मुलाकिसोली	कोंटा 148	9.790 हे.	ग्रेनाईट	शासकीय भूमि	स्वीकृत अवधि में पूर्वेक्षण अनुज्ञाधारी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया एवं पूर्वेक्षण अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदित प्रकरण				
1.	मे. विमल स्टोन एसोसियेट, जगदलपुर, छ.ग.	मुलाकिसोली	कोंटा 148	23.50 एकड़	ग्रेनाईट	शासकीय भूमि	खनि रियायत नियम 1960 के नियम 60 प्रावधानान्तर्गत समय पूर्व (प्री-मेच्योर) आवेदन होने के कारण निरस्त.
2.	पी सुरापा राजू, हैदराबाद, आ.प्र.	—,—	—,—	9.790 हे.	—,—	—,—	—,—
3.	मे. एलायंस मिनरल प्रा.लि., चेन्नई तमिलनाडु.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
4.	मे. अनगन्दला इंदिरा रेड्डी वारंगल, आ.प्र.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
5.	मे. जी. पी. व्ही. एक्सपोर्ट्स कोरापुट, उड़ीसा.	—,—	—,—	24.19 हे.	—,—	—,—	—,—
6.	श्री हनुमान मिनरल्स/के. सुरेश चौधरी, खम्मम, आ.प्र.	—,—	—,—	9.790 हे.	—,—	—,—	—,—
			खनिपट्टा के आवेदित प्रकरण				
1.	पी.व्ही.पी. एक्सपोर्ट 18 ए राजामन्नार स्ट्रीट टी नगर, (चेन्नई)	मुलाकिसोली	कोंटा 148	9.790 हे.	ग्रेनाईट	शासकीय भूमि	—,—

नीरज बनसोड़,
कलेक्टर.